161

संचिका संख्याः–अ०स०क०–08–ग–आ०वि०स्था०–11/2023(खण्ड–I)....3689..../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–4687, दिनांक–13.09.2023 में निर्धारित शर्त्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण किया गया है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ–साथ रोजमर्रा की सामग्री आदि भी मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

2. अल्पसंख्यकों के परिवारों से आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में किशनगंज एवं दरभंगा जिला में नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाना है।

3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.11.2024 में मद संख्या–03 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्त्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–4687, दिनांक–13.09.2023 में निर्धारित शर्त्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है।

4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्त्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–4687, दिनांक–13.09.2023 में निर्धारित शर्त्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त की जाएगी। (अनुलग्नक–1)

5. **बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता:–**

मुख्य शीर्ष– 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष– 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष– 277–शिक्षा–उपशीर्ष–0001–आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं०–30–2225042770001 से विकलनीय होगा।

6. यह संकल्प निर्गत की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मो०सोहैल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—11/2023(खण्ड—1) 3689 पटना, दिनांक 20.11.2024

प्रतिलिपि:—मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रधान सचिव पिछड़ वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, /प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त, बिहार/ सभी उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/सभी सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग /सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
20/11/24